कार्यालय उप वन संरक्षक, झुन्झुनूं

क्रमांक :–एफ( )सर्वे/उवसं/17–18/ 12632 दिनांक :– 16/2/18

NRSS XXXVI TRANSMISSION LIMITED,
A 26/3, Mohan Cooperative industrial Estate,
Sarita Vihar,
New Delhi

विषय – ट्रांसमिशन लाईन बबाई (RRPVNL)– Bhiwani (PG) 400 kv D/C Transmission Line बाबत 13.015 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर के पत्रांक F14 (Trans) /2017/FCA/PCCF/CCF EDS-I दिनांक 14.02.18 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय को आज दिनांक 16.02.18 को प्राप्त टिप्पणी बिन्दू संख्या 1 से 9 के संबंध में आपसे संबंधित बिंदूओं पर आवश्यक कार्यवाही कर पालना से लिखित रूप में इस कार्यालय को अवगत करवाने का कष्ट करावें ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(आर.एन.मीना)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं

D:/2017/accounts/AAO

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर।

F 14 (Trans)2017/FCA/PCCF/CCF EDS-I Dated 14.02.2018

NRSS XXXVI TRANSMISSION LIMITED, A 26/3, Mohan Cooperative Industrial Estate, Sarita Viahr, New Delhi द्वारा झूंझुनु जिले /वन मंडल में Babai (RRPVNL) - Bhiwani (PG) 400kV D/C Transmission Line बाबत 13.015 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के ऑनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार की बेबसाईट www.forestcleranace.nic.in पर रजि0 नम्बर FP/RJ/Trans/28622/2017 पर दिनांक 12.8.2017 रजिस्टर किये गये है। मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा प्रसताव में हार्ड प्रति ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण एवं प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के औचित्यता के साथ वैकल्पिक मार्गो का विवरण संलग्न किया गया है। हार्ड प्रति के साथ संलग्न डिजिटल मेप KML file*/Shape file में देखे जाने पर उक्त KML file में प्रसतावित वन क्षैत्र Polyline में नही दिया गया है।
2. प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु संलग्न जिला स्तरीय समिति में पारेषण लाईन के वनाधिकार नही होने के संबंध में कोई विवरण स्पष्ट नही किया गया है। उक्त को पार्ट I में भी अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
3. उप वन संरक्षक द्वारा 43 वृक्षो पारेषण लाइन के अंदर आना अवगत कराया गया हे किन्तु हार्ड प्रति में यह स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त में से कितने वृक्षों का पातन किया जावेगा एवं कितने वृक्षों की छंगाई किया जावेगी। उक्त को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
4. उप वन सरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित पारेषण लाईन में 7.452 है0 वनखण्ड बांसियाल–53 जो कि बांसियांल – खेतडी कनर्जवेशन रिजर्व का हिस्सा है इस सबंध में वन्यजीव स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है। इस आश्य के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से टिप्पणी से लिया जाना प्रस्तावित है।
5. उप वन संरक्षक द्वारा अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रत्यावर्तित वन भूमि की स्थिति स्पष्ट नही की गई है। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट किस दिनांक को जारी हुई है यह अंकित नही है।
6. प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
7. उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना में दण्डात्मक वृक्षारोपण की योजना अंकित की गई है। जबकि इसमें दुगने अवनत भूमि की वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न की जानी प्रस्तावित है उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न योजना भी, मॉडल के अनुरूप नही है।
8. प्रस्ताव में पारेषण लाईन के नीचे औषधीय पौधो के वृक्षारोपण योजना संलग्न नही की गई है।
9. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना की जी0टी0शीट निर्धारित स्केल 1:50000 पर नही है।

उक्त बिन्दुओ की सूचना मुख्य वन संरक्षक जयपुर को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR